हरियाणा राज्य एवं अन्य

बनाम

अरावली खान उद्योग एवं अन्य

अक्टूबर 12, 2007

{तरूण चटर्जी एवं पी- सदाशिवम जे जे}

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5874/2000

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 3007/2000 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 09-05-2000 **से**

साथ

सिविल अपील संख्याः 4855/2007

पक्षकारों की ओर से मंजीत सिंह, एएजी, अनुप जी. चौधरी और जून चौधरी, हरिकेश सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह, टी.वी. जॉर्ज और के.बी. रोहतगी।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

पी. सदाशिवम, जे.

1. सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा तथा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 3007/2000 में पारित अादेश दिनांकित 09-05-2000 से व्यथित होकर उपरोक्त अपील दायर की है।

संक्षिप्त तथ्य:

2. 18.02.1980 को, प्रत्यर्थी मैसर्स अरावली खनिज उद्योग को ग्राम चेलाका के कुछ क्षेत्रों में 139 हेक्टेयर भूमि और तहसील नूंह, जिला में रेत के खनन के लिए सिलिका रेत का पट्टा दिया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा 20 वर्षों की अवधि के लिए गुड़गांव, हरियाणा। सिलिका रेत एक प्रमुख खनिज है और साधारण रेत के नीचे पाया जाता है, जो एक लघु खनिज है। सिलिका का दोहन करने के लिए, प्रत्येक पट्टेदार को बिक्री, व्यवस्थित और वैज्ञानिक खनन के हित में ओवरलेइंग साधारण रेत को हटाने की आवश्यकता होती है। चूंकि साधारण और सिलिका रेत दोनों एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, राज्य सरकार ने अगस्त, 1984 में एक नीतिगत निर्णय लिया कि धातु खान विनियम, 1961 का विनियम संख्या 1061 के अनुसार व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण खनन के उद्देश्य से सिलिका रेत के पट्टेदार को साधारण रेत का भी खनन पट्टा दिया जाए।

3. उक्त निर्णय के अनुसार, 27.09.1984 को, प्रत्यर्थी को साधारण रेत के खनन पट्टे के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई थी। विभाग के अनुसार, चार अनुस्मारक के बावजूद, प्रत्यर्थी द्वारा साधारण रेत के खनन पट्टे के लिए आवेदन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

उन्हें दिनांक 12.07.1985 का एक नोटिस भी दिया गया था। अंततः, खनन पट्टा 06.05.1986 को समय से पहले समाप्त कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने केंद्र सरकार के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया। पट्टेदार के वचन पत्र के आधार पर, केंद्र सरकार ने अपने आदेश दिनांक 28.03.1998 द्वारा, प्रत्यर्थी के खनन पट्टे को बहाल करते हुए उन्हें आदेश के 30 दिनों के भीतर साधारण रेत के खनन पट्टे के लिए आवेदन करने का भी निर्देश दिया। बहाली के आदेश के बाद, प्रत्यर्थी ने साधारण रेत के खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन किया था जो उन्हें सिलिका रेत के खनन पट्टे की अवधि के अनुरूप अवधि यानी 17.02.2000 तक के लिए प्रदान किया गया था। चूँकि खनन पट्टे की अवधि 17.02.2000 को समाप्त होनी थी, प्रतिवादी ने 01.03.1999 को राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर इस आधार पर खनन पट्टे को 850 दिनों तक बढ़ाने का अनुरोध किया कि 850 दिनों तक उसका खनन पट्टा अतीत में समाप्त रहा है। चूँकि प्रत्यर्थी के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, प्रत्यर्थी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 602/2000 दायर की, जिसमें दिनांक 16.02.2000 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर एक माह में राज्य को निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस निर्देश के अनुसार प्रत्यर्थी को सुनने के पश्चात् वित्तीय आयुक्त एवं सचिव हरियाणा राज्य, खान

आैर भू विज्ञान विभाग ने खनन पट्टे को बढाने का अनुरोध खारिज कर दिया।

4. वित्तीय आयुक्त के अस्वीकृति आदेश पर सवाल उठाते हुए, प्रत्यर्थी ने इसे रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 3007/2000 दायर की। यद्यपि राज्य द्वारा अपने उत्तर कथन के माध्यम से गंभीर आपत्ति उठाई गई थी, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 09.05.2000 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि रिट-याचिकाकर्ता का 01-06-2000 तक पट्टे पर कब्जा रखा जावे। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हरियाणा राज्य ने उपरोक्त अपील दायर की।

5. हमने श्री अनूप जी चौधरी, श्रीमती जून चौधरी, विद्वान वरिष्ठ वकील और अपीलकर्ताओं के लिए श्री मंजीत सिंह, एएजी और प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान वकील श्री केबी रोहतगी को सुना।

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया पट्टा बहुत पहले समाप्त हो गया था और बाद के घटनाक्रम के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों के आलोक में, दोनों पक्षों के दावे पर विस्तार से चर्चा करना अनावश्यक है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी के पक्ष में दी गई खनन की लीज 17.02.2000 को समाप्त हो गई। हालाँकि, प्रत्यर्थी की शिकायत है कि खनन विभाग के आचरण के

कारण, वे 850 दिनों की अवधि के लिए खनन करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वे खनन पट्टे को 850 दिनों तक बढ़ाने के हकदार हैं, जिसके लिए उन्होंने 01.03.1999 को एक अभ्यावेदन किया था। यद्यपि उक्त अभ्यावेदन पर वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया जो वर्तमान अपील का विषय है।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने श्री एस.के.गुप्ता, सहायक, खनन अभियंता, गुड़गांव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा का दिनांक 11.10.2007 का शपथ पत्र (जिसकी प्रति प्रत्यर्थी के वकील को प्रदान की गई थी) प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसके बाद प्रत्यर्थी के पक्ष में दी गई लीज अवधि की समाप्ति के बाद, प्रश्नगत स्थल से गौण खनिज के निष्कर्षण अधिकार 20.12.2001 को नीलाम किए गए और मैसर्स डॉल्फिन मिनरल्स, गुड़गांव को दे दिए गए, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त नीलामी को प्रत्यर्थी द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका सं. 19798/2001 दायर करके चुनौती दी गई थी और अंततः उच्च न्यायालय ने 12.09.2002 को उक्त रिट याचिका को खारिज

कर दिया। खनन अभियंता के शपथ पत्र में निम्नलिखित जानकारी प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

> "4. ...इसके बाद, 12.11.2002 को मेसर्स डॉल्फिन मिनरल्स, 182 चरण-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव के पक्ष में उपरोक्त बोली (नीलामी) की पुष्टि की गई। तब से उपरोक्त पार्टी यानी मेसर्स डॉल्फिन मिनरल्स उक्त स्थल की वैध पट्टेदार है और पट्टे की अवधि अभी भी विद्यमान है। इसलिए, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं और उक्त तीसरे पक्ष यानी मेसर्स डॉल्फिन मिनरल्स को सुने बिना कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।"

8. उपरोक्त तथ्यात्मक जानकारी के मद्देनजर, जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही बताया है और तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण के मद्देनजर, इस समय प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

9. उसी हलफनामे में, अधिकारी ने कहा है कि उक्त स्थल का खनिज निष्कर्षण, गुड़गांव जिले में अरावली में आने वाले अन्य सभी स्थलों के साथ। एम.सी. मेहता और टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपाद मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार रोक दिया गया है। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने 16.12.2002 को इस

न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पेश किया जिसमें इस न्यायालय ने वन क्षेत्रों में खनन कार्य पर रोक लगा दी थी। विभिन्न निर्देशों में से, हरियाणा राज्य से संबंधित निर्देश इस प्रकार है:

"2. हरियाणा राज्य में गुड़गांव जिले सहित कुछ जिलों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 23 के तहत जारी अधिसूचना दिनांकित 29 नवंबर, 1999 के तहत, मंत्रालय ने राज्य को खनन उद्देश्यों के लिए मंजूरी देने की शक्ति सौंपी है । खनन गतिविधियों को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 7 मई, 1992 (आईए संख्या 833 में अनुबंध ए-1) के तहत विनियमित किया जा रहा है । हम निर्देश देते हैं कि, फिलहाल, हरियाणा राज्य में गुड़गांव जिले के उन क्षेत्रों में किसी भी खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना दिनांकित 7.5.1992 के तहत खनन को विनियमित किया जाता है। 29 नवंबर , 1999 के बाद दी गई अनुमति के लिए आज तक, उक्त निर्देश लागू है।"

10. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेगा:

क) प्रत्यर्थी के पक्ष में 18.02.1980 को दिया गया खनन पट्टा 17.02.2000 को ही समाप्त हो गया था;

ख) पट्टे की समाप्ति के बाद, विचाराधीन स्थल की नीलामी 20.12.2001 को की गई और मेसर्स डॉल्फिन मिनरल्स, गुरगांव को दे दी गई, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाली थी। यद्यपि उक्त आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, स्वीकार्य रूप से रिट याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

ग) इस न्यायालय के दिनांक 16.12.2002 के आदेश के अनुसार, गुड़गांव जिले के पूरे क्षेत्र में खनन कार्य। प्रतिबंधित है।

11. इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी के पक्ष में राहत देने वाले उच्च न्यायालय के निर्देश को इस समय लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी हर्जाना/मुआवजा के लिए उचित अदालत से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है यदि यह कानून के अनुसार स्वीकार्य है।

12. उपरोक्त अवलोकन के साथ, अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सिविल अपील संख्या 4855/2007

(2001 की एसएलपी (सी) संख्या 12611 से उत्पन्न)

13. विशेष अनुमति स्वीकृत.

14. प्रत्यर्थी ने पट्टे को रद्द करने के खिलाफ सिविल रिट याचिका संख्या 14277/1999 में पारित उसी उच्च न्यायालय के दिनांकित

21.03.2001 के आदेश पर सवाल उठाते हुए विशेष अनुमति के माध्यम से उपरोक्त अपील दायर की।

15. सिविल अपील याचिका संख्या 5874/2000 में हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर, प्रत्यर्थी - मेसर्स अरावली खानिज उद्योग द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संदीप आनंद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।